By Speed post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

File No. AS/1/2018/STGMH/ATMURD/RU-IV

Dated: 28.09.2018

To

1. The Principal Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

2. The Principal Secretary,
Home Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

3. The District Collector,
District – Wardha
Maharashtra.

4. The Superintendent of Police,
District – Wardha,
Maharashtra.

Sub: Inquiry Report into incident of rape and murder of ST girl namely Shubhangi Uikey, Village - Dahegaon (Tuljapur), Tehsil – Selu, District – Wardha.

Sir/Madam ,

I am directed to enclose copy of Inquiry report into incident of rape and murder of ST girl namely Shubhangi Uikey, Village - Dahegaon (Tuljapur), Tehsil – Selu, District – Wardha, Maharashtra conducted by the Smt. Mayaya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, NCST on 19.04.2018 for necessary action at your end.

It is requested that action taken report on the Commission's recommendations may be sent to the Commission within one month positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully,

YKBansal 29/9/2018

(Y.K. Bansal)
Research Officer

(Encl: As above)

Copy to:-

Shri Avachitrao Sayam,
Chairman,
Rashtriya Manavadhikar Suraksha Samsthan (India),
Behind Priyadarsini Mahila College,
Near Bhoyar Hospital,
Nalwadi – Wardha,
District – Wardha,
(Maharashtra).

Copy to: - I. SAS, NIC, NCST.

पत्रावली सं0 एएस/1/2018/एसटीजीएमएच/एटीएमयूआरडी/आरयू-IV

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19-04-2018 को वर्धा जिले के सेलू तहसील अन्तर्गत दहेगांव(तुलजापुर) पुलिस स्टेशन क्षेत्रांगत में दिनांक 19-03-2018 को हुई 18 वर्षीय अनुसूचित जनजाति लड़की सुश्री शुभांगी पिलाजी उइके की बलात्कार पश्चात् हत्या किए जाने की घटना की मौका जांच रिपोर्ट ।

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते, माननीया सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19-04-2018 को वर्धा जिले के दहेगांव, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिनांक 19 मार्च, 2018 को अनुसूचित जनजाति की 18 वर्षीय लड़की सुश्री शुभांगी पिलाजी उईके की बलात्कार करके उसकी हत्या किए जाने की घटना की मौका जांच हेतु पहुंची । माननीय सदस्या के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुसंधान अधिकारी, श्री वाई.के. बंसल भी घटना की जांच हेतु पहुंचे ।

घटना की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र के अभ्यावेदन दिनांक 6-4-2018 एवं विभिन्न स्थानीय समाचार-पत्रो में प्रकाशित समाचारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वर्धा जिले के सेलू तहसील के मौजा धापकी शिवार में दहेगांव(तुलजापुर) पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्षेत्र में दिनांक 19 मार्च, 2018 को एक महिला की "नग्न लाश" कटी हुई हालत में दहेगांव(तुलजापुर) पुलिस को मिली । उस लाश की पहचान शुभांगी पिलाजी उइके के रूप में की गई जो कि अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित थी । लड़की के माता-पिता ग्राम आजनगांव, तहसील सेलू, जिला वर्धा में खेत पर मजदूरी कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । दिनांक 19-03-2018 को लड़की देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंची तो लड़की के पिता, श्री पिलाजी उइके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 19-03-2018 को समय 8.30 बजे (अपराह्न) देहगांव पुलिस स्टेशन में 3 व्यक्तियों नामत: श्री विवेक लोटे, संजय एवं बुशनाके के विरुद्ध दर्ज कराने पहुंचे । परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की एफआईआर दर्ज नहीं की गई ।

दूसरे दिन पुलिस द्वारा लड़की के माता-पिता को सूचित किया गया कि उनकी लड़की ने रेल के सामने आत्महत्या कर ली है तथा पुलिस को उसका कटा हुआ नग्न शरीर रेल पटरी पर प्राप्त हुआ है । जबकि पुलिस द्वारा लड़की की लाश को दिनांक 19-03-2018 की रात्रि में ही बरामद कर लिया गया था । पुलिस प्रशासन द्वारा नामजद आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई । पुलिस प्रशासन ने आत्महत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जबकि लड़की

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

के मां-बाप एवं स्थानीय लोगों ने मामले में बलात्कार व हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग की जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । बाद में स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 23-03-2018 को तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।

आयोग द्वारा की गई जांच

1. मृतक के परिवारजनों तथा गांववासियों से ली गई जानकारी

आयोग के जांच दल ने उक्त घटना की दिनांक 19-04-2018 को मौके पर जाकर जांच की तथा सभी संबंधित पक्षों से मामले के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

जांच के दौरान लड़की की मां, उसके निकट के सगे-संबंधियों, ग्रामवासियों एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष यह जानकारी दी गई कि दिनांक 19-03-2018 की दोपहर को मृतक सुश्री शुभांगी पिलाजी उइके अपने पैतृक गांव नयागांव से अपनी सहेली की सगाई में सम्मिलित होने हेतु दहेगांव को रवाना हुई थी । लड़की की अधकटी नग्न लाश को दिनांक 19-03-2018 की शाम को लगभग 7-8 बजे के आस-पास पुलिस ने रेल पटरी से बरामद किया । जबकि लड़की के देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर लड़की के परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में दिनांक 19-03-2018 की रात 8.00 बजे के समय रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु याचना की गई परन्तु पुलिस द्वारा लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट एवं उसको ढूंढने हेतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई । दूसरे दिन, दिनांक 20-03-2018 को पुलिस द्वारा लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी लड़की के मां-बाप को दी गई । लड़की की मां एवं गांव वालों ने आगे बतलाया कि लड़की की लाश पर कोई भी वस्त्र का टुकड़ा नहीं था । इससे यह आशंका प्रकट होती है कि लड़की की बलात्कार करने के बाद हत्या की गई तथा उसकी लाश को रेल पटरी पर डालकर आत्महत्या का रूप दिया गया । लड़की का घटना के दिन अपने गांव के श्री विवेक लोटे के साथ विवाद हुआ था और उसी ने उसका बलात्कार कर हत्या की थी । परन्तु पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया । स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया । यदि पुलिस द्वारा तत्काल घटना की रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को ढूंढने के प्रयास किए जाते तो यह अनहोनी घटना नहीं घटती । पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार एवं हत्या का मामला दर्ज नहीं किया है । मामले को आत्महत्या के रूप में दर्ज कर आरोपियों के कानून के शिकंजे से बचने के उपाय बना दिए हैं । लड़की के परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए ।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

2. **जिला कलेक्टर, वर्धा, जिला पुलिस अधीक्षक, वर्धा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक का विवरण**

माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिन्तामण इवनाते एवं आयोग के जांच दल ने घटना के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय, वर्धा में दिनांक 19-4-2018 को दोपहर 3.00 बजे चर्चा कर जानकारी प्राप्त की । चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद थे । साथ में मृतक के परिवारजन एवं अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, वर्धा ने आयोग की माननीय सदस्या को बताया कि सुश्री सुभांगी पिलाजी उइके ने रेल के सामने आत्महत्या की है । उसमें बलात्कार एवं हत्या किए जाने का कोई सबूत पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है । मामले में पुलिस ने रेल के ड्राईवर के भी बयान दर्ज किए हैं जिसमें उसने लड़की के रेल के सामने आकर आत्महत्या किए जाने की पुष्टि की है । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने आत्महत्या किए जाने की रिपोर्ट दी है । जहां तक लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं होने का सवाल है तो रेल की गति बहुत तेज थी तथा रेल गति की हवा के कारण लड़की के शरीर से कपड़े उड़कर चले गए । यही कारण था कि शरीर पर कपड़े का कोई भी चिन्ह नहीं बचा था । पुलिस ने मामले में तुरन्त कार्रवाई नहीं करने के कारण देहगांव पुलिस स्टेशन के संबंधित 3 कर्मचारियों को कर्त्तव्यहीनता के आरोप में पद से निलम्बित कर दिया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है । सभी संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने हेतु आरोप लगाकर आरोप-पत्र दाखिल कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है । मृतक के परिवारजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिनांक 11-4-2018 को प्रदान की जा चुकी है ।

आयोग द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष एवं अनुशंसा

आयोग की माननीय सदस्या एवं आयोग के जांच दल ने संबंधित सभी पक्षों से घटना के बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर एवं उनसे चर्चा कर यह पाया है कि मामले को स्थानीय पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया तथा मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा लापरवाही की गई । लड़की के मां-बाप द्वारा दिनांक 19-3-2018 की शाम को पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को ढूंढने हेतु कार्रवाई की गई होती तो शायद यह अनहोनी घटना घटित नहीं होती । आयोग ने पाया कि जब लड़की का अधकटा हुआ नग्न शरीर रेल की पटरी से प्राप्त हुआ था तो उस पर कपड़े का एक चिन्ह भी मौजूद नहीं था । जबकि उसके हाथ में चुन्नी थी । अतः यह कैसे हो सकता था कि रेल गति की हवा से शरीर में पहने हुए कपड़े उड़कर शरीर से अलग हो जाए । आत्महत्या के मामलों में यह देखा गया है कि मृतक की लाश पर कपड़े मौजूद होते हैं । परन्तु इस प्रकरण में लाश के शरीर पर कपड़े के कोई चिन्ह नहीं थे जो कि यह

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

दर्शाता है कि लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की गई है । यद्यपि, लड़की का शरीर के ऊपर का कटा हुआ आधा शरीर ही पुलिस को प्राप्त हुआ था जिससे पुलिस के द्वारा बलात्कार के दृष्टिकोण से पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता था । पुलिस द्वारा लड़की का पोस्टमार्टम भी देर से कराया गया था । मामले में लड़की की मां का कथन था कि उनकी लड़की का आरोपी के साथ मतभेद हुए थे तथा उसने उसके साथ मारपीट की थी परन्तु पुलिस जांच अधिकारी, श्री काले ने लड़की के मां-बाप के बयानों के अनुसार मामले की जांच नहीं की । अतः आयोग ने पाया कि यह एक संदेहास्पद प्रकरण है जिसमें लड़की की बलात्कार कर हत्या किए जाने के आरोपों के तहत मामले की जांच की जानी चाहिए थी । अतः आयोग निम्नलिखित अनुशंसा करता है:-

1. मृतक सुश्री शुभांगी पिलाजी उइके प्रकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में आयोग यह अनुशंसा करता है कि महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग मामले की सीबीआई जांच हेतु प्रकरण को केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को तुरन्त अग्रसरित करने हेतु कार्यवाही करें ।
2. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपुर, उप-कार्यालय वर्धा की रिपोर्टानुसार पीड़ित परिवार को आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा न्यूक्लिअर बजट के तहत आपातकालीन स्थिति में रुपए 50,000/- की आर्थिक सहायता देने हेतु कार्रवाई करें । इस संबंध में 10,000/- रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल मुहैया कराने हेतु कार्यवाही जिला कलेक्टर, वर्धा द्वारा किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।
3. मृतक का परिवार भूमिहीन परिवार है । अतः मृतक के परिवार को भूमिहीन रहने के कारण आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की स्वाभिमान सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत खेती के लिए जमीन उपलब्ध रहने पर 2 एकड़ सिंचित जमीन अथवा 4 एकड़ असंचित जमीन देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाए ।
4. पीड़ित परिवार को शबरी आदिवासी घरकुल योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराए जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए ।
5. महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के तहत नियमानुसार आवश्यक मदद राशि दिए जाने हेतु कार्यवाही की जाए ।

आयोग की उक्त अनुशंसाओं पर महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग, जिला कलेक्टर, वर्धा एवं जिला पुलिस अधीक्षक, वर्धा से कृत कार्यवाही प्रतिवेदन मंगाए जाने हेतु लिखा जाए ।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत ... of India
नई दिल्ली / New Delhi